[भारत के राजपत्र**,** असाधारण के भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ**]**

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग**)**

अधिसूचना संख्या 19**/**2020-सीमा शुल्क

नई दिल्ली**,** दिनांक 9 अप्रैल, 2020

सा.का.नि. .... (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की धारा 141 के साथ पठित, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2020-सीमा शुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2020, जिसे सा.का.नि. 68 (अ), दिनांक 2 फरवरी, 2020 के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था में संशोधन करती है, यथा :-

1. उक्त अधिसूचना में -

(i) शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2020 के खंड 139 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवृत विधि, अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931(1931का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक, "वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की धारा 141 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) "वित्त विधेयक के उक्त खंड के अधीन" के स्थान पर "उक्त वित्त अधिनियम की उक्त धारा के अधीन " शब्दों को प्रतिस्थापित किया

[फाइल संख्या 354/43/2020-टीआरयू]

(गौरव सिंह)

उप सचिव, भारत सरकार